

न्यायालय:—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म0प्र0)
समक्ष:—दिलीप सिंह

आर.सी.एस.—2 बी / 2016
 संस्थित दिनांक—12.05.2016

सुबोध साहू, उम्र—41 वर्ष, पिता अलालखोर साहू, जाति तेली,
 निवासी—उकवा तहसील, परसवाड़ा, जिला बालाघाट

.....वादी

— / / विरुद्ध / / —

राजकुमार नागेश्वर पिता नन्दलाल, उम्र—31 वर्ष, जाति गढ़वाल,
 निवासी—राजपुर, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट

.....प्रतिवादी

— / / निर्णय / / —

(आज दिनांक—29.01.2018 को घोषित)

- 1— (वादी ने यह वादपत्र प्रतिवादी के विरुद्ध 33,000 /—(तैंतिस हजार रुपये) की वसूली हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2— वादी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी के आपस में अच्छे संबंध होने के कारण प्रतिवादी दिनांक—20.04.14 को वादी के घर आया था और कहा था कि उसे पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 20,000 /—रुपये की आवश्यकता है। उसके पिता उकवा खान में पदस्थ है, उसके पिता को वेतन मिलने पर वह राशि लौटा देगा। प्रतिवादी दिनांक—27.04.13 को पुनः वादी के घर पर आया था और कहा था कि उसे रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है, उसे आज ही राशि दे दो। यदि उसके पिता राशि नहीं देंगे तो उसका वाहन रख लेना, तब वादी ने प्रतिवादी को 20,000 /—रुपये गवाह के समक्ष दिये थे। प्रतिवादी ने वादी से कहा था कि वह अभी वाहन सुपुर्द नहीं करेगा, वाहन के दस्तावेज एजेन्सी से प्राप्त होने पर वाहन सुपुर्द कर देगा, तब वादी ने प्रतिवादी को 20,000 /—रुपये दे दिए थे एवं प्रतिवादी ने कहा था कि वह जल्द ही कागजात के साथ वाहन दे देगा, किन्तु प्रतिवादी ने ऐसा नहीं किया था और वादी के पास आकर कहने लगा था कि वह दिनांक—28.04.13 को एजेंसी गया था, उससे एजेन्सी वाले 11,000 /—रुपये की मांग कर रहे हैं, तब कागजात देंगे। वादी ने प्रतिवादी को दिनांक—30.04.2013 को 5,000 /—रुपये एवं दिनांक—02.05.2013 को 8,000 /—रुपये, कुल 13,000 /—रुपये दिये थे, जिनका दिनांक सहित स्टाम्प के पीछे उल्लेख है। प्रतिवादी ने वादी से कुल 33,000 /—रुपये प्राप्त किये थे, किन्तु

वादी को प्रतिवादी ने मोटरसाईकिल नहीं दी और न ही राशि वापस की थी। वादी दिनांक-30.09.13 को प्रतिवादी के घर गया था तब प्रतिवादी ने वादी से कहा था कि वह धान की फसल काटकर 33,000/-रुपये वापस कर देगा। फसल कटने के पश्चात् पुनः वादी, प्रतिवादी के घर गया था, तब प्रतिवादी राशि देने के लिए हिला-हवाला करने लगा था, तब वादी ने उसके अधिवक्ता द्वारा दिनांक-13.12.13 को प्रतिवादी को 15 दिन का नोटिस प्रेषित किया था, किन्तु प्रतिवादी ने वादी को राशि नहीं दी थी। प्रतिवादी नोटिस मिलने के बाद वादी के पास आया था और कहा था कि वह राशि वापस कर देगा, तब वादी ने प्रतिवादी से कहा था कि उसने दिनांक-01.04.2014 को पुलिस चौकी में आवेदन दे दिया है, तब प्रतिवादी ने चौकी में जाकर कहा था कि वह किशतों में राशि मई 2014 में 10,000/-रुपये, माह जुलाई में 10,000/-रुपये एवं माह दिसम्बर में 3,000/-रुपये देगा, किन्तु प्रतिवादी द्वारा वादी को राशि वापस नहीं दी गई थी। दिनांक-24.05.15 को प्रवीण एवं वादी, प्रतिवादी के घर गये थे और राशि की मांगनी की थी, तब प्रतिवादी, कहने लगा था कि उनसे जो बनता है, कर ले, वह राशि वापस नहीं करेगा। वाद कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ था। वादी ने उसके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उसके पक्ष में डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।

3- प्रकरण में प्रतिवादी ने वादी के वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर उसके विशिष्ट कथन में बताया है कि वादी व्यवसाय से डॉक्टर है, जो रहन/गिरवी का भी कार्य करता है। वादी के पास साहुकारी लार्जसेंस नहीं है। इस कारण वादी जब किसी व्यक्ति को रुपये देता है, तब उस व्यक्ति से स्टाम्प की मांग कर उसके हस्ताक्षर कर आवश्यकता से अधिक कीमत की वस्तु गिरवी/रहन कर लेता है। प्रतिवादी को 5,000/-रुपयों की आवश्यकता होने के कारण वह वादी से मिला था, तब वादी द्वारा प्रतिवादी से कहा था कि वह 100/-रुपये का स्टाम्प लेकर आए, तब वह 5000/-रुपये की राशि दे पाएगा। दिनांक-24.04.2013 को प्रतिवादी 100/-रुपये का स्टाम्प लेकर वादी के पास गया था, तब वादी ने प्रतिवादी से कहा था कि वह स्टाम्प पर लिखापढ़ी बाद में कर लेगा, प्रतिवादी के पास मोटरसाईकिल है, जिसे वह रहन पर रखेगा एवं प्रतिवादी स्टाम्प पर हस्ताक्षर कर दे। प्रतिवादी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। प्रतिवादी स्टाम्प पर हस्ताक्षर कर 5,000/-रुपये की राशि प्राप्त कर वह घर आ गया था। उसके पश्चात् 5,000/-रुपये की राशि प्रतिवादी ने दिनांक-18.12.13 को वादी को वापस कर दी थी। वादी का वादपत्र सब्यय निरस्त किया जावे।

4— प्रकरण तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

क मांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी ने प्रतिवादी को 33000/-रुपये की राशि उधार दी थी ?	“प्रमाणित नहीं”
2	क्या वादी ने प्रतिवादी से कोरे स्टाम्प पर हस्ताक्षर कराकर दस्तावेज अपने आधिपत्य में रख लिया था ?	“प्रमाणित नहीं”
3	क्या वादी उधार दी गई राशि मय ब्याज के प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है ?	“प्रमाणित नहीं”
4	सहायता एवं व्यय ?	वादी का वादपत्र निर्णय की कंडिका-12 के अनुसार निरस्त किया गया है।

वादप्रश्न क मांक-01 व 02, 03 का निराकरण:-

5— वादी सुबोध साहू वा.सा.1 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि प्रतिवादी को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण दिनांक-20.04.14 को प्रतिवादी, साक्षी के घर पर आया था एवं कहा था कि उसे पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 20,000/-रुपये की आवश्यकता है। साक्षी द्वारा रूपये नहीं देने पर दिनांक-27.04.13 को प्रतिवादी पुनः साक्षी के घर पर आया था एवं कहा था कि उसे रूपये की अत्यन्त आवश्यकता है एवं कहने लगा था कि राशि दे दो, उसके पिता वेतन में से रूपये वापस नहीं देंगे तो उसका वाहन रख लेना, ऐसा कहने पर साक्षी ने दिनांक-27.04.13 को 20,000/-रुपये प्रतिवादी को गवाह के समक्ष दिये थे, तब प्रतिवादी ने कहा था कि वह वाहन को अभी सुपुर्द नहीं करेगा। मोटरसाईकिल हीरो ग्लेमर के दस्तावेज एजेन्सी से प्राप्त होने पर वह वाहन सुपुर्द कर देगा। प्रतिवादी ने इसके बाद साक्षी को दस्तावेज नहीं दिये थे। इसके बाद प्रतिवादी, वादी के पास पुनः आया था एवं साक्षी से कहा था कि वह दिनांक-28.04.13 को एजेन्सी गया था। एजेन्सी वाले 11,000/-रुपये मांग रहे हैं, तब कागजात देंगे, तब प्रतिवादी ने साक्षी को वाहन एवं कागजात देने का कहा था, तब साक्षी ने दिनांक-30.04.13 को 5,000/-रुपये दिये थे। प्रतिवादी कहने लगा था कि उसे 13,000/-रुपये

चाहिए तो साक्षी ने दिनांक-02.05.13 को 8,000/-रुपये दिये, जिसे स्टाम्प के पृष्ठ भाग पर अंकित किया था। इस तरह वादी ने प्रतिवादी से 33,000/-रुपये प्राप्त किये थे, किन्तु प्रतिवादी ने वादी को न ही मोटरसाईकिल दी और न ही रुपये वापस किये। साक्षी ने प्रतिवादी के घर जाकर दिनांक-30.09.13 को प्रतिवादी से संपर्क किया था। प्रतिवादी ने कहा था कि वह धान की फसल कटने पर राशि वापस कर देगा। धान की फसल कटने के बाद साक्षी पुनः प्रतिवादी के घर गया था। प्रतिवादी से राशि वापस मांगी थी, तो प्रतिवादी टालमटोल करने लगा था, तब वादी द्वारा अपने अधिवक्ता से दिनांक-13.12.13 को 15 दिन का नोटिस भिजवाया। उसके बाद भी प्रतिवादी ने राशि वापस नहीं की थी। नोटिस मिलने के बाद प्रतिवादी, वादी के पास आया था और कहा था कि राशि वापस कर देगा, तब साक्षी ने कहा था कि उसने दिनांक-01.04.14 को पुलिस चौकी में आवेदन दिया है, तब प्रतिवादी ने पुलिस चौकी में कहा था कि वह किशतों में माह मई 2014 में 10,000/-रुपये, माह जुलाई 2014 में 10,000/-रुपये एवं माह दिसम्बर 2014 में 3,000/-रुपये वापस देगा। इसके बाद भी प्रतिवादी ने राशि नहीं लौटाई थी। दिनांक-24.05.15 को प्रवीण एवं वादी, प्रतिवादी के घर राशि मांगने गये थे, तब प्रतिवादी ने कहा था कि वह राशि वापस नहीं करेगा, विवाद कर राशि वापस करने से मना कर दिया था। साक्षी प्रतिवादी से उक्त राशि मय ब्याज के प्राप्त करने का अधिकारी है।

6- ज्ञानगिरी गोस्वामी वा.सा.2 ने वादी की साक्ष्य का समर्थन करते हुए उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि वादी ने प्रतिवादी को 33,000/-रुपये दिये थे। उक्त राशि वापस नहीं करने के कारण प्रतिवादी ने उसका हीरो ग्लेमर वाहन 20,000/-रुपये में विक्रय किया था। दिनांक-27.04.13 को सौदापत्र करते समय उक्त साक्षी एवं अशोक कोठे उपस्थित थे, दोनों ने सौदापत्र पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किये थे एवं वादी ने भी हस्ताक्षर किये थे। प्रतिवादी ने कहा था कि वाहन के कागजात मिलने के बाद वह देगा, इसलिए सौदा 20,000/-रुपये में किया था, किन्तु प्रतिवादी ने सौदापत्र के बाद वाहन को वापस नहीं किया और न ही राशि लौटाई। प्रतिवादी ने कहा था कि एजेन्सी से कागजात लाने के बाद वाहन देगा। यह कहकर 13,000/-रुपये प्रतिवादी, वादी से ले गया था। इसके बाद प्रतिवादी ने वाहन एवं रुपये नहीं दिये।

7- विक्टर जॉन मसीह वा.सा.3 ने वादी की साक्ष्य का समर्थन करते हुए स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि वादी ने प्रतिवादी को दिनांक-27.04.13 को पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 33,000/-रुपये दिये थे। प्रतिवादी द्वारा वादी की राशि अदा नहीं करने के कारण प्रतिवादी ने उसका वाहन

वादी को विक्रय किया था और राशि कम होने के कारण दस्तावेज एजेन्सी से लाने का कहा था। दिनांक-30.04.13 को 5,000/-रुपये एवं दिनांक-02.05.13 को 8,000/-रुपये वादी ने प्रतिवादी को दिये थे, परंतु प्रतिवादी ने वादी को उक्त राशि नहीं लौटाई थी एवं वाहन भी वादी को नहीं दिया था, तब वादी ने पुलिस चौकी उकवा में शिकायत की थी। शिकायत होने पर प्रतिवादी ने कहा था कि वह किशतों में माह जुलाई 2014, दिसम्बर 2014 तक राशि अदा करेगा, किन्तु प्रतिवादी ने राशि अदा नहीं की। वादी, प्रतिवादी को दी गई राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में दिनांक-27.04.13 का सौदा कर प्रदर्श पी-1 ट्रेजरी के दिनांक-30.10.17 के चालान फार्म प्रदर्श पी-2, वादी द्वारा थाना रूपझर में की गई शिकायत का आवेदन प्रदर्श पी-3 एवं दिनांक-13.12.13 के नोटिस की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

8— वादी के अधिवक्ता ने तर्क में बताया है कि प्रतिवादी ने वादी से 33,000/-रुपये उधार लिये थे। उधार की राशि वापस नहीं देने पर प्रतिवादी ने उसके वाहन का सौदा वादी से किया था। खण्डन में प्रतिवादी ने उसके लिखित तर्क में बताया है कि प्रदर्श पी-1 के दस्तावेज शीर्ष में सौदापत्र का उल्लेख है। उक्त दस्तावेज में ऐसा नहीं लिखा है कि राशि उधार दी गई थी। बाद में राशि नहीं देने पर सौदापत्र लिखा गया था। इस प्रकार की बात का उल्लेख सौदापत्र में नहीं था। वादी के मौखिक तर्क, प्रतिवादी के लिखित तर्क पर विचार किया जावे तो वादी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 के दस्तावेजों के शीर्ष में सौदापत्र लिखा है एवं प्रदर्श पी-1 के दस्तावेज में वाहन के कय-विक्रय के संबंध में लिखा है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-6 में यह बताया है कि उसने दावा इसलिए पेश किया कि गाड़ी मिल जाए एवं वसूली के पैसे मिल जाए। वादी के साक्षी ज्ञानगिरी गोस्वामी वा.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 के दस्तावेजों में 20,000/-रुपये में वाहन को विक्रय किया जाना लिखा है, परंतु प्रतिवादी के अधिवक्ता ने तर्क में बताया है कि प्रतिवादी की मोटरसाईकिल लगभग 75,000/-रुपये की है, उसको प्रतिवादी 20,000/-रुपये में क्यों बेचेगा। वादी ने बिना लिखे स्टाम्प पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर कराकर प्रदर्श पी-1 का सौदापत्र लिखा है। प्रदर्श पी-1 का दस्तावेज प्रतिवादी की सहमति से संपादित नहीं हुआ है।

9— विक्टर जॉन मसीह वा.सा.3 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह बताया है कि उसे 33,000/-रुपये की जानकारी वादी के बताने के आधार पर हुई है। वादी के दिनांक-27.04.13 के सौदापत्र में यह उल्लेख है कि प्रतिवादी के

स्वामित्व की हीरो ग्लेमर मोटरसाईकिल 20,000/-रुपये में विक्रय की गई है। उक्त राशि प्रतिवादी ने प्राप्त की है। उक्त वाहन के दस्तावेज प्राप्त होने पर वाहन के दस्तावेज हस्तांतरण करने की पूरी कार्यवाही दस्तावेजों के संबंध में प्रतिवादी, वादी के नाम पर करा देगा, परंतु वादी के वादपत्र के पैरा-2 के अभिवचन में यह लिखा है कि वादी, प्रतिवादी को 20,000/-रुपये की राशि दे दे और राशि वापस नहीं करने पर प्रतिवादी वाहन वादी के सुपुर्द कर देगा एवं एजेन्सी से दस्तावेज प्राप्त होने पर उक्त दस्तावेजों को सुपुर्द कर देगा। वादी के वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से यह दर्शित नहीं होता है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य दिनांक-27.04.13 का सौदापत्र प्रतिवादी की मोटरसाईकिल विक्रय के बारे में किया गया हो। वादी के अभिवचन में प्रतिवादी की मोटरसाईकिल की कंपनी का नाम, मोटरसाईकिल के इंजन नंबर, चेचिस नंबर का उल्लेख नहीं है। प्रदर्श पी-1 के सौदापत्र में भी प्रतिवादी की मोटरसाईकिल का चेचिस नंबर एवं नंबर, नहीं लिखा है। जबकि कोई संपत्ति विक्रय की जाती है तो बिक्रीनामा में विक्रयशुदा संपत्ति की संपूर्ण जानकारी लिखी जाती है, परंतु प्रदर्श पी-1 के सौदापत्र में प्रतिवादी की मोटरसाईकिल की स्पष्ट जानकारी नहीं है। प्रकरण में प्रतिवादी की मोटरसाईकिल के स्वामित्व से संबंधित किसी दस्तावेजों को देखे बिना वादी ने प्रदर्श पी-1 का सौदापत्र किया था। वादी ने क्रेता सावधान के नियम का पालन नहीं किया है।

10- प्रकरण में प्रतिवादी ने उसके अभिवचन में मोटरसाईकिल की कीमत 75,000/-रुपये के लगभग बताई है। 75,000/-रुपये की मोटरसाईकिल का 20,000/-रुपये में सौदा करने से यह दर्शित होता है कि वादी अधिक कीमत की संपत्ति को प्रतिवादी से कम कीमत में प्राप्त करना चाहता था। वादी के वादपत्र के अनुसार वादी को प्रतिवादी से 33,000/-रुपये लेना है। प्रदर्श पी-1 के सौदापत्र में कुल 20,000/-रुपये में सौदा होना लिखा है। वादी के सौदापत्र के 20,000/-रुपये एवं पृष्ठ भाग में अंकित 18,000/-रुपये कुल मिलाकर 38,000/-रुपये होते हैं। वादी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-8 में यह बताया है कि प्रदर्श पी-1 के सौदापत्र के स्टाम्प के पीछे वाले भाग में 5,000/-रुपये के साथ 2,000/-रुपये एवं 8,000/-रुपये के साथ 3,000/-रुपये योग किया है, उसका कोई मूल नहीं है। इससे यह दर्शित होता है कि वादी ने प्रदर्श पी-1 के सौदापत्र के पीछे 5,000/-रुपये एवं 8,000/-रुपये के साथ जो राशि लिखी है, वह राशि वादी ने प्रतिवादी को नहीं दी थी। वादी ने कुल 33,000/-रुपये की वसूली के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध यह वाद प्रस्तुत किया है। वादी ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि उसने 5,000/-रुपये कम वसूली का वाद क्यों

प्रस्तुत किया है। प्रदर्श पी-1 के सौदापत्र के पृष्ठ भाग में 8,000/-रुपये के आगे प्रतिवादी ने जो 3,000/-रुपये लिखा होना बताया है, उसमें ओव्हराईटिंग है। उसमें अंक 4 को काटकर अन्य दूसरा अंक बनाया है। उस राशि को देखने से वह 3,000/-रुपये लिखा होना दर्शित नहीं होता है।

11— विक्टर जॉन मसीह वा.सा.3 के मुख्यपरीक्षण व प्रतिपरीक्षण में वादी द्वारा प्रतिवादी को 33,000/-रुपये दिये हों, इस संबंध में विरोधाभास है। इस साक्षी ने उसकी साक्ष्य में वादी ने प्रतिवादी को 13,000/-रुपये दिये थे, यह बताया है, परंतु प्रदर्श पी-1 के सौदापत्र में 13,000/-रुपये की राशि के बारे में कुछ नहीं लिखा है। सुबोध साहू वा.सा.1 की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसने प्रदर्श पी-1 के सौदापत्र के साक्षी ज्ञानगिरी गोस्वामी वा.सा.2, अशोक कोठे के समक्ष प्रतिवादी को राशि देकर सौदापत्र के साक्षीगण के हस्ताक्षर कराए हों एवं प्रतिवादी ने सौदापत्र के साक्षीगण के समक्ष प्रदर्श पी-1 के सौदापत्र पर हस्ताक्षर किये हों। वादी ने प्रदर्श पी-1 के सौदापत्र के साक्षी अशोक कोठे को उपस्थित कर उसकी साक्ष्य प्रकरण में नहीं कराई है एवं साक्ष्य नहीं कराने का कोई कारण भी नहीं बताया है। वादी एवं उसके किसी भी साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि प्रदर्श पी-1 का सौदापत्र लिखते समय प्रदर्श पी-1 के सौदापत्र पर वादी ने हस्ताक्षर किये थे एवं प्रदर्श पी-1 के सौदापत्र के साक्षीगण ने एवं प्रतिवादी ने उसके हस्ताक्षर किये थे। किसी अनुबंधपत्र के दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक है कि दस्तावेज के पक्षकार एवं दस्तावेज के साक्षीगण अपनी साक्ष्य से यह प्रमाणित करें कि दस्तावेज उनकी उपस्थिति में लिखा गया था एवं दस्तावेज संपादित होते समय पक्षकारों ने एवं साक्षीगण ने एक-दूसरे की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हों एवं हस्ताक्षर करते देखा हो, परंतु वादी पक्ष की संपूर्ण साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि प्रदर्श पी-1 का सौदापत्र प्रतिवादी एवं सौदापत्र के साक्षीगण की उपस्थिति में संपादित हुआ हो। प्रदर्श पी-1 का सौदापत्र वादी एवं प्रतिवादी के मध्य संपादित होना प्रमाणित नहीं माना जाता है। इस कारण वादी एवं उसके साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि प्रतिवादी ने वादी से 33,000/-रुपये की राशि उधार प्राप्त की थी। वादप्रश्न क्र. 2 को प्रतिवादी को प्रमाणित करना था। प्रतिवादी की ओर से प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस कारण वादप्रश्न क्र. 2 को प्रमाणित नहीं माना जाता है। वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने प्रतिवादी को 33,000/-रुपये की राशि उधार दी थी। इस कारण वादी 33,000/-रुपये की राशि पर प्रतिवादी से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

वादप्रश्न क्रमांक-4 सहायता एवं व्यय

12— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादी अपना वादपत्र प्रतिवादी के विरुद्ध प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वादी का वादपत्र निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:—

- 1— उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 2— अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही /—
(दिलीप सिंह)
द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट

सही /—
(दिलीप सिंह)
द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)